Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2024 5(1), 1824–1828

SELF HELP GROUPS AND WOMEN EMPOWERMENT: A SOCIOLOGICAL STUDY: WITH SPECIAL REFERENCE TO BAGESHWAR DISTRICT

स्वयं सहायता समूह एवं महिला सशक्तिकरण एक समाजशास्त्री अध्ययन: बागेश्वर जनपद के विशेष सन्दर्भ में

Sarita Trikoti [1] ✉, Mohan Lal Arya [2] ✉

[1] Assistant Professor and Head of Department, Department of Sociology and Social Work School of Social Sciences School of Social Sciences IFTM University, Moradabad (U.P.), India
[2] Professor, Department of Education, School of Social Sciences, IFTM University, Moradabad (U.P.), India

Corresponding Author
Mohan Lal Arya,
drmlarya2012@gmail.com

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.5234

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: Women are an important part of society. Society cannot be imagined without the existence of women. Various dimensions of the status of women are visible from ancient times to the present. Half the power of the nation lies in the form of women. Various scholars are of the opinion that the progress and prosperity of any nation can be estimated from the status of women there. In fact, women act as good managers since childhood because they manage the unit or institution of the house not only on the basis of their economic condition, social environment, family situation etc., but also present a very good example for management by keeping in mind mutual harmony and stressful situation. The main objective of the present study is to demonstrate women empowerment through self-help groups.

Hindi: महिलाएं समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। महिला अस्तित्व के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। प्राचीन काल से वर्तमान तक महिलाओं की स्थिति के विविध आयाम दृष्टिगोचर होते हैं। राष्ट्र की आधी शक्ति तो महिलाओं के रूप में निहित है। विभिन्न विद्वानों का मत है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति व सम्पन्नता का वहां की महिलाओं की स्थिति से अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में महिलाएँ बचपन से ही एक अच्छे प्रबंधक के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि घर रूपी इकाई या संस्था का प्रबन्धन न केवल वे अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक परिस्थिति आदि के आधार पर करती हैं, बल्कि आपसी सामन्जस्य और तनावपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखकर प्रबंधन के लिए इस काफी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देष्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सषक्तिकरण को प्रदर्शित करना है।

Keywords: Self Help Groups, Women Empowerment, Economic Empowerment, Political Empowerment, Social Empowerment स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक मे सशक्तिकरण

1. प्रस्तावना

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देष्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का अध्ययन करना है। किसी भी राष्ट्र या समाज के समग्र एवं सन्तुलित विकास के लिए महिला वर्ग या राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा होना आवश्यक है। निर्धन, महिलाओं, ग्रामीण एवं समाज के अन्य अविकसित वर्गों को भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी बैंको से ऋण लेने और अपना रोजगार स्थापित करने में सदैव कठिनाई होती रही है। इन परेशानियों से सरकार भी भली भाँति अवगत रही है और समय समय पर इन वर्गों के विकास के लिए नई योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिससे कि इन निम्न स्तरीय वर्गों के लोगों को संस्थागत वित्त और स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। किन्तु कई वर्षों के प्रयासों एवं प्रयोग के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस सफलता सरकार

को नहीं मिल पाई। इन सब कठिनाइयों और विफलताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पाया कि समूह के माध्यम से विकास की योजनाओं एवं बैंक ऋण को इस वर्ग तक सफलतापूर्वक पहुँचाया जा सकता है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग नाबार्ड द्वारा एक दशक पूर्व स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया गया। इस प्रयोग के सुपरिणामों से प्रोत्साहित हो सरकार एवं नाबार्ड ने समय-समय पर समूह कार्यविधि में यथावश्यक सुधार करते हुए देश भर में इसे लागू करने का निर्णय लिया। इसके कार्यान्वयन में न केवल सरकार बल्कि गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संस्थाएँ, सरकारी विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य कई संस्थाएँ भी सम्मिलित की गईं। फलस्वरूप आज देश भर के कई प्रकार के मे स्वयं सहायता समूह गठित करने वाली संस्थाओं (Self-Help Promoting Institutions) के प्रतिरूप विकसित होकर सामने आये हैं। हमारे देश की महिलायें देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है। इसलिए राष्ट्र विकास के महान कार्य में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। प्रश्न उठता है कि महिला सशक्तीकरण का अर्थ क्या है? क्या यह मात्र अपने शाब्दिक अर्थ ''महिला की सबलता'' तक ही सीमित है। अथवा इसके निहितार्थ कहीं अधिक गहरे है? वस्तुतः इस प्रष्न की परख इस बात से की जानी चाहिए कि क्या नारी भयमुक्त होकर जिस लक्ष्य को पाना चाहती है उसके लिए प्रयास कर सकती है या नहीं। सही सबलता और सुयोग्यता महिला सशक्ति की असली पहचान है। व्यापक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला सशक्तीकरण आन्दोलन बीसवीं शताब्दी के आखिरी दशक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक आयाम कहा जा सकता है। वस्तुतः महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिससे महिलाओं की अपने आप को संगठित करने की क्षमता बढ़ती और सुदृढ होती है। वर्ष 2000-2001 के वार्षिक बजट में वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित किया गया था। महिला सशक्तीकरण के मुद्दे को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी गईं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वशक्ति, स्वयं सिद्धा आदि। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय महिला कोष योजना की भी शुरूआत की गई। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं को बैंकों और बाजारों से भी जोड़ा गया। सशक्तीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को इस योग्य बनाने का प्रयास करती है कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र/कार्यों में पूर्ण अस्मिता तथा शक्तियों को प्राप्त कर सकें। यदि किसी भी समाज मे स्त्री-पुरूष असमानता के बीज विद्यमान हैं तो यह उस समाज के समग्र विकास के लिए कैसे यथोचित है?1

किसी भी राष्ट्र या समाज के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए महिला वर्ग का राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा होना परमावश्यक है। देश की आधी आबादी की पूर्ण सक्रियता एवं सहभागिता ही संबंधित समाज के समूचे विकास की पूर्ण शर्त है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए अमेरिकी विद्वान टॉक विल का कथन है कि अमेरिकी महिलाओं की सर्वापरिता ही अमेरिकी लोकतंत्र की सुदृढ़ता एवं समृद्धि का प्रमुख आधार है।2 ऐसा कहा जाता है कि भारत की आत्मा गाँवों मे बसती है तथा स्त्रियाँ उसकी धुरी हैं। भारतीय शासन तंत्र ने ग्राम विकास के साथ ही महिला सशक्तीकरण के लिए भी प्रयास किया है जिससे ग्रामीण महिलाओं को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सरकार द्वारा 20 मार्च को महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति लागू की गई।3 इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं सशक्तीकरण को सुनिश्चित करना है और महिलाओं के साथ प्रत्येक तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना है कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गतिविधि में खुलकर भाग लें।

स्वयं सहायता समूह भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सन् 2005 में सूर्यमूर्ति आर० ने केरल के अध्ययन में स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव महिलाओं पर देखा और पाया कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा उपार्जित ऋण एक दूसरे की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोग किया गया एवं समस्याओं का निवारण किया गया। इसके अतिरिक्त सन् 2006 में शर्मा अभिजीत ने मेघालय के खासी जिले के अध्ययन में गरीनी खत्म करने में सूक्ष्म वित्त योजनाओं एवं संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि स्वयं सहायता समूहों ने गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।5 इसके उपरान्त सन् 2007 में सिंह एवं पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के अपने अध्ययन में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण में सूक्ष्मवित्त योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन किया और पाया कि सूक्ष्मवित्त योजनाओं पर आधारित स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण गरीब महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।6

स्वयं सहायता समूहः आज देश में अनेक शासकीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही चलाये जा रहे हैं तथा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और कई मंत्रालय अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कर रहे हैं। भविष्य में स्वयं सहायता समूहों का योगदान शासकीय योजनाओं में एक अहम् भमिका निभायेगा। भारत में स्वयं सहायता समूहों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे निधि, र्चिती, कुरी, नरूक्कू, कमैटी, समूह, समुख, कालिंजयन, मित्रासमूह, समानरूपी समूह, Water user group joint liability group इत्यादि। स्वयं सहायता समूह ऐसे निर्धन ग्रामीणों का एक समूह है जिनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी है। ये लोग अपनी इच्छा से एक समूह में संगठित होकर नियमित रूप से 10-20 रूपये या उससे ज्यादा की बचत करके जरूरतमंद सदस्यों के साथ ऋण का लेन-देन (बीमारी के इलाज, कृषि कार्य, शादी-विवाह इत्यादि के लिए) करते हैं। हर सप्ताह या पन्द्रह दिन या हर माह बैंठक में बचत की राशि सदस्यों द्वारा जमा की जाती है तथा ऋण का लेन-देन किया जाता है। सकेश मल्होत्रा के अनुसार, ''स्वयं सहायता समूह एक ऐसा गठबन्धन है जिसमें 10 से 20 सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने के उद्देश्य से संगठित होते हैं। सामान्यता स्वयं सहायता समूह के सदस्य एक दूसरे से भली-भाँति परिचित होते है, एक ही गाँव, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों और व्यवसाय के होते है, अर्थात वह समरूप होते हैं।7 यूनिसेफ के अनुसार ''स्वयं सहायता समूह अपनी आवश्यकता पूर्ति तथा समस्या समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करने का एक साथन है। 8

प्रस्तुत अध्ययन की प्रासंगिकताः सरकार द्वारा समय-समय पर महिलाओं के उत्थान के लिए नई-नई योजनायें संचालित की जा रही हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग नाबार्ड द्वारा लगभग एक दशक पूर्व स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया गया। स्वयं सहायता समूहों के क्रियान्वयन के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन कर पता लगाना आवश्यक है

कि स्वयं सहायता समूहों के प्रारंभ होने के बाद क्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का निराकरण हो रहा है? महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, रहन-सहन एवं आजीविका का स्तर, निर्णय लेने की क्षमता, राजनीतिक सहभागिता का स्तर, कार्यों की दक्षता का स्तर, तथा स्वास्थ्य के स्तर में आये परिवर्तनों से संबंधित दशाओं पर इस अध्ययन के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य: इस शोध के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं-

1) स्वयं सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक मे सशक्तिकरण ज्ञात करना।
2) स्वयं सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ज्ञात करना।
3) स्वयं सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण ज्ञात करना।

शोध अध्ययन का प्रारूप: अध्ययन क्षेत्र प्रस्तुत अध्ययन हेतु बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक तथा गरुड़ ब्लॉक का चयन किया गया है जिसमें दोनों ब्लॉकों में से एक-एक स्वयं सहायता समूह द्वारा कुल 54 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपरक निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रत्यक्ष साक्षात्कार, अवलोकन एवं अनुसूची पद्धति का प्रयोग कर किया गया है। इसी तारतम्य में द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिए पुस्तक, सरकारी प्रतिवेदन, पूर्वानुसंधान प्रतिवेदन, समाचार पत्र, पत्रिका, सर्वेक्षण प्रतिवेदन आदि का अध्ययन कर विश्लेषण किया गया है। उद्देश्यों के अनुरूप संकलित तथ्यों को सरल सारिणियों के द्वारा प्रस्तुत कर किया गया है

विष्लेषण एवं व्याख्या: स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिरकरण को अग्रवर्णित तालिका संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है -

तालिका संख्या-1

परिवार में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता से सम्बन्धित उत्तरदाताओं के मत

क्रम0 सं0	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1-	हाँ	51	94.44
2-	नहीं	03	5.56
3-	योग	54	100.00

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा अधिकांश महिलाये (94.44 प्रतिशत) परिवार के आर्थिक कायों में कुशलतापूर्वक सहभाग कर रही है और उनका आर्थिक स्तर सुदृढ़ हुआ है। वे पारिवारिक व्यय में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं।

तालिका संख्या-2

ग्रामीण महिलाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

क्रम0 सं0	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1-	हाँ	49	90.44
2-	नहीं	05	9.24
3-	योग	54	100.00

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के द्वारा अधिकांश महिलायें (90.44 प्रतिशत) कार्य करने में निपुण हुई है, जिससे उनकी कार्यक्षमता मे वृद्धि हुई है।

तालिका संख्या-3

स्वयं सहायता समूह बैंकिंग प्रणाली संबंधी ज्ञानवर्द्धन से सम्बन्धित उत्तरदाताओं के मत

क्रम0 सं0	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1-	हाँ	48	88.89
2-	नहीं	06	11.11
3-	योग	54	100.00

स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तीकरण का एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा जैसा कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है अधिकांश महिलाओं (88.86 प्रतिशत) में बैंकिंग प्रणाली के द्वारा ब्याज दर एवं ऋण सम्बन्धी ज्ञान में भी वृद्धि हुई है।

तालिका संख्या-3

बच्चों एवं स्वयं के जीवन स्तर में सुधार से सम्बन्धित उत्तरदाताओं के मत

क्रम0 सं0	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1-	हाँ	51	94.44
2-	नहीं	03	05.56
3-	योग	54	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह उपलब्ध ऋण के माध्यम से अधिकांश महिलायें (94.44प्रतिशत) में अपने एवं अपने बच्चों के लिए उचित सुविधायें प्रदान करने में सक्षम हुई हैं, जिससे उनके जीवन-स्तर में सुधार हुआ है।

तालिका संख्या-4

उत्तम नेतृत्व क्षमता एवं संचार योग्यता का विकास से सम्बन्धित उत्तरदाताओं के मत

क्रम0 सं0	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1-	हाँ	47	89.03
2-	नहीं	07	12.97
3-	योग	54	100.00

तालिका संख्या-5

स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति जागरूकता में वृद्धिसे सम्बन्धित उत्तरदाताओं के मत

क्रम0 सं0	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1-	हाँ	49	90.97
2-	नहीं	05	9.25
3-	योग	54	100.00

प्रस्तुत सारणी में अधिकांश ग्रामीण महिलाओं (90.97 प्रतिशत) में स्वयं सहायता समूह की बैठकों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है जैसे- पोलियो, एच०आई०वी० जापरिवार नियोजन कार्यक्रम आदि।

तालिका संख्या-6

निर्णय लेने की क्षमता का विकास से सम्बन्धित उत्तरदाताओं के मत

क्रम0 सं0	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1-	हाँ	50	92.60
2-	नहीं	04	7.40
3-	योग	54	100.00

सारणी द्वारा स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा अधिकांश महिलाओं (92.60 प्रतिशत) में परिवार एवं समुदाय में निर्णय लेने की क्षमता को बढावा मिला है, जिससे उनमें आत्म-निर्भरता बढ़ी है।

2. निष्कर्ष

उपर्युक्त पूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों ने गरीबी समाप्त करने और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिवार में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता बढ़ी है। महिलायें अब स्वयं सहायता समूह द्वारा जमा किये गये वित्त से अपने एवं अपने बच्चों को उचित शिक्षा एवं अच्छी सुविधायें प्रदान करने में सक्षम हुई हैं जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। स्वयं सहायता समूहों ने परिवार में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं में बैकिंग प्रणाली के माध्यम से ब्याज दर, बैंक में खाता खोलना, ऋण संबंधी किश्तों आदि के ज्ञान में वृद्धि हुई है। महिलाओं में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं कार्यकुशलता को भी बढ़ावा मिला है। महिलायें समूह एवं समूह से बाहर भी अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सकती है तथा अब वे व्यक्तिगत रूप से समूहों के द्वारा उन्नति करने में सक्षम हुई है।

3. सुझाव

1) स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एकत्रित धनराशि की नियमित जाँच एवं निगरानी की आवश्यकता है।
2) समूहों के समुचित रूप से संचालन हेतु माह में आयोजित की गई प्रत्येक बैठक में समूह के सदस्यों की पंजिका में उपस्थिति दर्ज की जानी अत्यधिक अनिवार्य है।
3) बाहरी एवं आन्तरिक एजेन्सियों द्वारा सत्यापन का कार्य और अधिक सफलतापूर्वक किया जाना चाहिए, जिससे स्वयं सहायता समूह में महिलायें नि:संकोच एवं सत्यनिष्ठा से कार्य कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

ज्योति सिडना धर्म और जाति के घेरे में महिला अस्मिता : एक समाजषास्त्री विमर्ष भारतीय समाजषास्त्र समीक्षा परिषद-जुलाई-दिसम्बर 2015 पृ.सं-116

सक्सेना आषीष व विजय लक्ष्मी- आधुनिक भारत के धार्मिकता एवं स्वच्छताः एक समाजषात्री परिप्रक्ष्य, भारतीय समाजषास्त्रीय परिषद रावत पब्लिकेषन नई दिल्ली-जनवरी-जून-2017-पृ.सं-26

डेविस के. हयूमन सोसायटी-पृ.सं-509

टाइलर ई.बी. प्रोमिटिव कल्चर -1924 पृ.सं-424

सक्सेना आषीष व विजय लक्ष्मी- आधुनिक भारत के धार्मिकता एवं स्वच्छता : एक समाजषात्री परिप्रक्ष्य, भारतीय समाजषास्त्रीय परिषद रावत पब्लिकेषन नई दिल्ली-जनवरी-जून-2017-पृ.सं-26

मंजू चौधरी - षिक्षित महिलाएं धर्म राधा कमल मुखर्जीः चिन्तन परम्परा वर्ष -04 अंक 02 जुलाई-दिसम्बर 2002, समाज विज्ञान संस्थान : चांदपुर विजनौर (उ.प्र.) पृ.सं.-45

राधा कृष्णन एस. रिलिजन एण्ड सोसाइटी, जार्ज एलिन एन अनविन लि. लंदन-1947-पृ.सं.-105-106

सारस्वत ऋतु, ''स्वास्थ्य षिक्षा और वैकल्पिक चिकित्सा'' योजना , जून- 2015 पेज.न.-48

बाल किरन श्रीमतीः ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्य -एक समाजषात्रीय अध्ययनः राधाकमल मुखर्जीः चिन्तन परम्परा वर्ष-16 अंक-1 जनवरी-जून (2014), (समाज विज्ञान विकास संस्थान चांदपुर बिजनौर उ. प्र.) पेज न.-157।

रफर जाकिया, इलीषिबा पाल, राधाकमल मुखर्जीः चिन्तन परम्परा वर्ष-12 अंक-2 जुलाई-दिसम्बर (2010), (समाज विज्ञान विकास संस्थान चांदपुर बिजनौर उ. प्र.) पेज न.-66-68।